

(प्रपत्र आरएसएल : 2)

राज्य सभा

अल्पकालिक चर्चा की सूचना

दिनांक .....

प्रेषक

....., संसद सदस्य।

सेवा में

महासचिव,  
राज्य सभा,  
नई दिल्ली।

महोदय,

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 176 के अधीन, मैं एतद्द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर अल्पकालिक चर्चा आरंभ करने के अपने आशय की सूचना देता हूँ :-

चर्चा आरंभ करने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक टिप्पण पृष्ठ के दूसरी ओर संलग्न है।

भवदीय

सदस्य, राज्य सभा।

विभाजन सं.....

समर्थनकर्ता:-

(1)..... विभाजन सं. ....  
हस्ताक्षर

(2) ..... विभाजन सं. ....  
हस्ताक्षर

## व्याख्यात्मक टिप्पण